103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2293–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 252/12–13 अपील.

सोबरन सिंह पुत्र जीवनलाल
निवासी ग्राम हसनपुर तहसील गोरमी,
जिला भिण्ड म0प्र0 ----- आवेदकगण

विरूद्ध

दाताराम पुत्र जीवनलाल
निवासी ग्राम हसनपुरा तहसील गोरमी
जिला भिण्ड म0प्र0 ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह ।

:: **आदेश** ::

(**आज दिनांक** 16-8-2016 **को पारित**)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 252/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने तहसीलदार गोरमी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि ग्राम हसनपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 242 रकबा 0.87 हैक्टर के उसके पिता 1/2 हिस्से के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थे । जीवनलाल की मृत्यु हो चुकी है । उक्त भूमि पर आवेदक का नामांतरण बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान परिवर्तन पंजी कमांक 52 आदेश दिनांक

28–5–1985 द्वारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश से रकबा 0.41 पर प्रमाणित किया गया है । पिता जीवनलाल की मृत्यु होने के उपरांत उक्त भूमि में शेष बचे रकबा 3 बिस्वा पर आवेदक एवं उसका भाई दाताराम संयुक्त भूमिस्वामी आधिपत्यधारी हैं । बंदोवस्त कार्यवाही के बाद खसरा संवत 2051–2055 तक आवेदक का नाम दर्ज रहा बाद में संवत 2056–2060 में पटवारी मौजा द्वारा आवेदक का नाम छोड़ दिया गया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं रही क्योंकि वह भारतीय सेवा में बाहर नौकरी करता था । आवेदन में बंदोवस्त न्यायालय के आदेश के अनुसार इन्द्राज दुरस्त करने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–7–12 द्वारा आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर खसरे में दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलीय न्यायालय के आदेश कानूनन सही नहीं हैं । अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर आदेश पारित करना था जो नहीं किया गया है । उनका कहना है कि तत्कालीन सहायक बंदोवस्त अधिकारी द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 52 पर दिनांक 28–5–95 को पारिवारिक व्यवस्थापत्र के आधार पर अभिलिखित भूमिस्वामी की सहमति से आवेदक का नाम दर्ज किया गया था । उक्त आदेश आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 28–5–95 के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन का आदेश देने में तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण को नवीन प्रविष्टि का मानने में त्रुटि की गई है । यह कहा गया कि अनावेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अतः उन्हें अपील करने की अधिकारिता नहीं थी उनके द्वारा कोई अनुमति लिखित में अपील पेश करने की नहीं ली गई । इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर तथा बिना अनुमति प्रस्तुत अपील में पारित आदेश को स्थिर रखने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक एवं आवेदक दोनों सगे भाई हैं पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार थे किंतु आवेदक द्वारा उन्हें विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया । उन्होंने अनुमति लेकर अपील प्रस्तुत की थी । तहसीलदार ने बिना विधिवत कार्यवाही किए आदेश पारित किया गया जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधता अपर आयुक्त ने उनके आदेश को स्थिर रखने में की है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 52/94–95 में पारित आदेश दिनांक 28–5–95 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किया गया ह और खसरा पांचसाला संवत 2051 लगायत 55 तकम उसका नाम दर्ज रहा है एवं संवत 2056 लगायत 60 के खसरे में बिना किसी आदेश के आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करना बंद कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि मात्र खसरे में किसी व्यक्ति का इन्द्राज छूट जाने से उसके स्वामित्व की भूमि पर से उसका स्वत्व समाप्त नहीं हो जाता हे । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों का प्रश्न है उनके द्वारा केवल इस आधार पर तहसील का आदेश निरस्त किया गया है कि संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत उक्त त्रुटि सुधार नहीं की जा सकती है और मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसों का नामांतरण करने में सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि इस प्रकरण में स्थिति ऐसी नही है जैसाकि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि वर्ष 1995 में सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज हुआ है और तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही की गई है । वर्ष 1995 के आदेश को कोई चुनौती अनावेदक द्वारा नहीं दिए जाने से उक्त आदेश अंतिम हो गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का जो आदेश वह स्थिर रखे जाने योग्य है,

जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः उक्त आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–14 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–13 निरस्त किया जाता है एव तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर